संख्या-1/2015/125/74-2015-30(ब)/2013

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ ।

रेशम विकास अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 20 फरवरी, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-आयोजनागत-12-एरी रेशम विकास योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-801/सेरी0/नियो0/एरी यो0/2014-15, दिनांक 2 फरवरी, 2015 तथा शासनादेश संख्या 16/500/74-14-30(ब)/2013 दिनांक 03 जुलाई, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-आयोजनागत-12-एरी रेशम विकास योजना (जिला योजना) में प्राविधानित धनराशि रू0 10000 हजार (रूपये एक करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0 4000500.00 (रूपया चालीस लाख पांच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न विवरण के अनुसार निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रूपये में)

मद सं0	मद का नाम	वर्ष 2014-15 में प्राविधानित कुल धनराशि	अवमुक्त की जा चुकी धनराशि	अवशेष धनराशि	वर्ष 2014-15 में अवशेष के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि
02	मजदूरी	1500	500	1000	1000
08	कार्यालय व्यय	600	200	400	210
09	विद्युत देय	240	80	160	160
11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	240	80	160	90.5
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	360	120	240	100
25	लघु निर्माण कार्य	1500	500	1000	350
26	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1200	---------	1200	170
29	अनुरक्षण	600	200	400	370
42	अन्य व्यय	720	240	480	480
43	सामग्री एंव सम्पूर्ति	2800	933	1867	1040
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	240	80	160	30
	योग	**1000**	**2933**	**7067**	**4000.5**

(रूपये चालीस लाख पांच सौ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों एवं अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति/सहमति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उसी मद में नियमानुसार व्यय किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

(3) क्रय की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाय तथा स्टोर परचेज रूल्स एवं संबंधित शासनादेशों द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार ही खरीददारी सुनिश्चित की जाय।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। मितव्ययिता के सम्बन्ध में धनराशि व्यय करते समय वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग के शासनादेश संख्या-सी0 ए0-934/दस-2008/मित0-1/2007, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय परनियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शासनादेशों में निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किये जाने के बाद यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे शासन को विलम्बतम दिनांक 15 मार्च, 2015 तक निश्चित रूप से समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(6) आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण किया जाये। स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार ही सुनिश्चित किया जाये तथा उसकी त्रैमासिक समीक्षा विभागाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से करते हुए त्रैमासिक अद्यावधिक व्यय की स्थिति /उपयोगिता से भी शासन को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

(7) उक्त धनराशि अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0 के मानक के अनुसार व्यय की जाय।

(8) इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-83 के लेखा शीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-आयोजनागत-12-एरी रेशम विकास योजना (जिला योजना) के अधीन सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

(9) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या एंव दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0,इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम व द्वितीय, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
(4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
(8) नियोजन अनुभाग-4
(9) समन्वय अनुभाग/उद्यान अनुभाग।
(10) बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
(11) गार्ड फाइल/कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।